राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 01446/2024

महेन्द्र कुमार जाटव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.03.2024
आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत अकबरपुर, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, करौली में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2017 में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पंचायत हिंडौन में हुई थी। अपीलार्थी को मार्च 2021 से ग्राम पंचायत अकबरपुर, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, जिला करौली में कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का एपीओ के रूप में स्थानान्तरण किया गया है तथा आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया जो कि आरएसआर के नियम 25ए का उल्लंघन है, अपीलार्थी का प्रतिबंधित अवधि में एपीओ के रूप में स्थानान्तरण किया गया है क्योंकि दिनांक 22.02.2024 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा स्थानान्तरण और एपीओ पर पूर्ण प्रतिबंध लगया दिया गया। अतः आलौच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग कर जारी किया गया है। आदेश दिनांक 01.03.2021 द्वारा

रामकेश मीना जो कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है, को भी एपीओ कर दिया गया था और उपरोक्त आदेश दिनांक 01.03.2024 (अनुलग्नक–3) के विरूद्ध उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4287/2024 रामकेश मीना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा आदेश दिनांक 01.03.2024 (अनुलग्नक–3) पर रोक लगा दी गई।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि एपीओ आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–2) को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत अकबरपुर, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, करौली में कार्यरत रखा जावे।

3 हमने उभय विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत अकबरपुर, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी, करौली में कार्यरत है। प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर जिला परिषद करौली में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी की तरफ से निवेदन किया गया है कि उक्त आलौच्य आदेश दिनांक की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका है। अपीलार्थी का निवेदन है कि आलौच्य आदेश दिनांक राजस्थान सेवा नियम के 25ए का उल्लघंन है क्योंकि आलौच्य आदेश में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को किस आधार पर एपीओ किया गया। सेवा नियम के नियम 25ए के अन्तर्गत अंकित आधार जिनके आधार पर किसी भी कर्मचारी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रावधान है, उसमें कोई भी कारण या आधार आलौच्य आदेश में अंकित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसी रिट पिटिशन संख्या 4287/2024 रामकेश मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में एपीओ आदेश को स्थिगित किया गया है (अनुलग्नक–3 व 4)। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी बहुत सारी सारी अपीलों को आदेश दिनांक 28.07.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा एपीओ आदेशों को खारिज किया गया है

जो कि नियम 25ए के उल्लघंन में जारी किया गया है। अतः आलोच्य आदेश स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है। आलौच्य आदेश और कार्यमुक्ति आदेश को अपास्त किए जाने का निवेदन किया है।

5 प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी के संबंध में ग्रामवासियों की शिकायत करने पर आलौच्य आदेश जारी किया गया है। साथ ही निवेदन किया है कि प्रतिबंधित प्रस्तुत अवधि में कर्मचारियों को एपीओ के माध्यम से ऐच्छिक जगह पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये जाने के निर्देश है। प्रशासनिक कारणों के आधार पर एपीओ किये जाने के सबंध में कोई प्रतिबंध नहीं हे। इस संबंध में उनके द्वारा एसबीसीडब्ल्यू रिट पिटिशन संख्या 9549/2022 रेसल सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 15582/2018 नीरज बनाम राजस्थान राज्य और भगवान दास मित्तल बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2007 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलौच्य आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6 उभय पक्ष के तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं मनन से स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का किस कारण/आधार पर एपीओ किया गया है इस संबंध में कोई भी तथ्य संबंधित आदेश में अंकित नहीं है। साथ ही आलौच्य आदेश प्रतिबंधित अवधि में जारी किया गया है जिसमें सक्षम स्तर से स्वीकृति लिये जाने का कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबीसीडब्ल्यू रिट पिटिशन संख्या 3053/2011 रमेश कुमार प्रयाग बनाम राजस्थान राज्य और अन्य संबंधित 14 प्रकरणों में आदेश दिनांक 28.07.2023 द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि

> 5 In the opinion of this Court, Rule 25A of the Rules of 1951 cannot be invoked impending the transfer of an employee or to accommodate/transfer other employee in place of already working employee. It not only causes inconvenience to the employee but also poses unwarranted financial burden on the State.
>
> 6 In the contingencies enumerated in Rule 25A or under exceptional circumstances, a Government servant can be asked to await posting.
>
> 7 A perusal of the impugned order(s) reveals that no reason has been inscribed and the order(s) have been passed in a mechanical manner.

8 That apart; substantial time has since passed after passing of the interim order(s) in favour of the petitioners, whereby the order(s) of keeping the petitioner(s) awaiting posting, has been, has been stayed.

9 Though in some of the cases, a liberty was granted to the respodents to provide posting to the petitioners, but in some of the cases such liberty has not been granted.

10 Learned counsel for the respondents submitted that in most of the cases, fresh posting has been provided to the petitioners or subsequent transfer order etc. have been passed.

11 Learned counsel for the petitioners relied upon the judgment dated 13.03.2018, passed by a Coordinate Bench of this Court in the case of Hemendra Kumar Trivedi Vs. State of Rajasthan & Ors.: S.B. Civil Writ Petition No.6261/2017.

12 This Court in Hemendra Kumar Trivedi (supra) has held thus:-

> "A bare look at the order dated 19.5.2017 (Annex.7) indicates that the order is non-speaking, no reason whatsoever has been indicated as to why the petitioner was being placed APO. The repeated orders passed against the petitioner, have been interfered with by this Court on account of their obevieus deficiency and again in the present case, the order ha been passed in apparent violation of rule 25A of the rajasthan service rules, 1951. The submission made in the reply seeking to justify the order dated 19.05.2017, cannot be countenanced, inasmuch as, the respodent cannot use the provisions of rule 25Aof RSR for extraneous purposes without indicating reasons for the same in the order. if the order dated 19-05-2017 (annex.7) was issued for the reasons as indicated in the reply, the same should have been reflected in the order and, therefore, the reasons indicated in the reply cannot be used for sistaining the order impugned."

13 In view of the aforesaid, all the writ petitions are disposed of in terms of Hemendra Kumar Trivedi (supra)'s case, wherever petitioners have been transferred/posted subsequent to impugned order(s), those order(s) shall not be affected by the present order.

14 Needless to observe that the respondents shall be free to pass fresh posting order(s) qua the petitioners, if the administrative exigency so warrants.

15 Stay petitions also stands disposed of."

आलौच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 सेवा नियम के नियम 25ए के अनुरूप नहीं होने एवं प्रतिबंध अवधि में जारी होने से आलौच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 (अनुलग्नक–1) एवं 14.03.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को आलौच्य आदेश जारी करने से पूर्व स्थान पर पदस्थापित रखा जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार नये सिरे से कोई आदेश अपीलार्थी के संबंध में जारी किया जाता है तो उसमें यह आदेश बाधित नहीं होगा।

7 उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.03.2024 को अपास्त फरमाया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य